न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 8/2021 दायर दिनांकः 01/02/2021

उनवान

1. रोहित आयु 33 वर्ष पुत्र मदनलाल जाति बैरवा निवासी मेरमाचाह तहसील अटरू जिला बारां (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः—विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

आदेश दिनाकः 12/10/2021

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल पतल्या पटवार क्षेत्र मेरमाचाह तहसील अटरू की खाता संख्या 12 का ख0नं0 61 का रकबा 1.34 है0, ख0 नं0 62 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 63 का रकबा 1.52 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.87 है0 एवं ग्राम एवं माल महेशपुरा पटवार क्षैत्र मेरमाचाह तहसील अटरू की खाता संख्या 112 का ख0नं0 34 का रकबा 0.18 है0, ख0 नं0 37 का रकबा 0.59 है0, ख0नं0 67 का रकबा 1.09 है0, ख0नं0 68/02 का रकबा 0.48 है0 कुल किता 4 का कुल रकबा 2.34 है0 आराजी प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान के साथ शामलाती खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने ग्राम महेशपुरा की जमाबन्दी खाता संख्या 112 का कुल किता 4 का कुल रकबा 2.34 है0 आराजी में फौती नामान्तरण संख्या 305 दिनांक 20.09.2013 में नामान्तरण दर्ज हुआ उसमें प्रार्थी का नाम रोहित उर्फ बबलू तथा प्रार्थी के भाई का नाम राहुल उर्फ गोलू दर्ज किया है तथा ग्राम पतल्या की खाता संख्या 12 की कुल किता 3 का कुल रकबा 2.87 है0 आराजी में नामान्तरण संख्या 173 दिनांक 20.09.2013 में प्रार्थी का नाम बबलू व प्रार्थी के भाई का नाम गोलू दर्ज किया है। जबकि

दोनों नामान्तरण एक ही दिनांक 20.09.2013 को एक ही ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पिता मदनलाल के फोत होने पर तस्दीक किये गये है प्रार्थी के आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक डायरी व ग्राम पंचायत मेरमाचाह के प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम रोहित तथा प्रार्थी के भाई का नाम राहुल दर्ज है जो सही दर्ज है। दस्तावेजों की छाया प्रतियां प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थी के भाई राहुल की दिनांक 02.03.2020 को अविवाहित ही मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उसे पक्षकार दर्ज नही किया गया हैं। केवल प्रार्थी की तरफ से ही यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी व उसके भाई का गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थी अपनी आराजी का कृषि विकास कार्य नही करवा पा रहा है तथा कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम रोहित तथा प्रार्थी के भाई का नाम राहुल दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी व उसके भाई का सही नाम दर्ज नही किया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी व अपने हक अधिकारों से वंचित होना पडेगा तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नही ले पावेगा। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी। इसलिए प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम रोहित व प्रार्थी के भाई का नाम राहुल दर्ज करवाने का अधिकारी व नॉलिशी है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम रोहित व प्रार्थी के भाई का नाम राहुल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई, अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश न करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के तहत **pw 1** से **pw 2** के शपथ पत्र पेश किये गये।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि विवादित आराजी ग्राम पतल्या की खाता संख्या 12 की कुल किता 3 का कुल रकबा 2.87 है0 आराजी में नामान्तरण संख्या 173 दिनांक 20.09.2013 में प्रार्थी का नाम बबलू व प्रार्थी के भाई का नाम गोलू दर्ज है जिसे दुरूस्त कर प्रार्थी

का नाम बबलू के स्थान पर रोहित व प्रार्थी के भाई का नाम गोलू के स्थान पर राहुल दर्ज किया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072–2075 ग्राम पतल्या के खाता संख्या 12 किता 3 रकबा 2.87 है0 में गोलू पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/28 तथा बबलू पुत्र मदनलाल हिस्सा 1/28 दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2073–2076 ग्राम महेशपुरा के पुराना खाता संख्या 112 व नवीन खाता संख्या 164 किता 4 रकबा 2.34 है0 में राहुल उर्फ गोलू पुत्र मदनलाल व रोहित उर्फ बबलू पुत्र मदनलाल शामलाती खाते में दर्ज है। अन्य रिकार्ड आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक डायरी एस.बी.आई. विज्ञान नगर कोटा, परिवार राशन कार्ड, में प्रार्थी का नाम रोहित वर्मा पुत्र मदनलाल दर्ज है। आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में प्रार्थी के भाई का नाम राहुल दर्ज है। ग्राम पंचायत मेरमाचाह के प्रमाण पत्र दिनांक 21.08.2019 के अनुसार राहुल तथा गोलू दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है व इसका वास्तविक नाम राहुल वर्मा है। रोहित तथा बबलू दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है व वास्तविक नाम रोहित वर्मा है।

रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित प्रतित होता है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम पतल्या की खाता संख्या 12 का ख0नं0 61 का रकबा 1.34 है0, ख0 नं0 62 का रकबा 0.01 है0, ख0नं0 63 का रकबा 1.52 है0 कुल किता 3 का कुल रकबा 2.87 है0 में सहखातेदार गोलू पुत्र मदनलाल के स्थान पर राहुल उर्फ गोलू पुत्र मदनलाल तथा बबलू के स्थान पर रोहित उर्फ बबलू पुत्र मदनलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां